न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 36/2026 (Bank Case)
GCMS No. 2026/73
इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड कार्यालयः– 406, DLF साउथ कोर्ट, साकेत, नई दिल्ली–110017 में स्थित एवं कार्यरत है। जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री पियुष ककड़।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री सलीम मोहम्मद
   पता– मकान नं0 4 डी 49, भारत अस्पताल के पीछे, 473, गली नं0 4, उड़िया बस्ती, विज्ञान नगर, कोटा (राज0)
   अन्य पताः– मकान नं0 7 सी 22, ब्लॉक 7 सी, विज्ञान नगर विस्तार, हाउसिंग एस्टेट विस्तार योजना, कोटा (राज0)
2. मै. सलीम खान बिल्डिंग मेटेरियल सप्लायर जरिये प्रोप./ऑथोराईज सिग्नेटरी
   पता– केशर रोड, तेजा जी का चबूतरे के पास, अनंतपुरा, कोटा (राज0)
   अन्य पताः– मकान नं0 7 सी 22, ब्लॉक 7 सी, विज्ञान नगर विस्तार, हाउसिंग एस्टेट विस्तार योजना, कोटा (राज0)
3. श्रीमती शबाना बानो
   पता– 4–डी–49, संजय नगर, विज्ञान नगर, कोटा (राज.)
   अन्य पता– मकान नं0 7 सी 22, ब्लॉक 7 सी, विज्ञान नगर विस्तार, हाउसिंग एस्टेट विस्तार योजना, कोटा (राज0)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री अमर सिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 16 .03.2026

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी इंटरनेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड कार्यालयः– 406, DLF साउथ कोर्ट, साकेत, नई दिल्ली–110017 में स्थित एवं कार्यरत है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तिय संस्था से दिनांक 18.02.2019 को खाता संख्या IL10043191 में रूपये 12,60,542/– रूपये (अक्षरेः बारह लाख साठ हजार पाच सौ बियालीस रूपये मात्र), खाता संख्या IL10141203 में रूपये 2,09,000/– रूपये (अक्षरेः दो लाख नो हजार रूपये मात्र), खाता संख्या IL10289964 में रूपये 2,64,000/– रूपये (अक्षरेः दो लाख चौषठ हजार रूपये मात्र) इस प्रकार कुल ऋण रूपये 17,33,542/– (अक्षरेः सत्रह लाख तेतीस हजार पाच सौ बियालीस रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में **श्री सलीम मोहम्मद पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ की सम्पत्ति मकान नं0 7 सी 22, ब्लॉक 7 सी, विज्ञान नगर विस्तार, हाउसिंग एस्टेट विस्तार योजना, कोटा (राज0) पर स्थित है, जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षैत्रफल 26. 16 वर्ग मीटर है। जो जर्ये इकरारनामा श्री सलीम मोहम्मद के नाम है।** को प्रार्थी वित्तिय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तिय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 04.07.2024 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खातों मे 13,79,829/–(अक्षरे तेरह लाख, उनयासी हजार आठ सौ उन्तीस रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 14.08.2024 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के

लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तिय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 14.08.2024 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तिय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 14.08.2024 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 14.08.2024 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः प्रार्थी वित्तिय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **श्री सलीम मोहम्मद पुत्र श्री मोहम्मद हनीफ की सम्पत्ति मकान नं0 7 सी 22, ब्लॉक 7 सी, विज्ञान नगर विस्तार, हाउसिंग एस्टेट विस्तार योजना, कोटा (राज0) पर स्थित है, जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षैत्रफल 26.16 वर्ग मीटर है। जो जर्ये इकरारनामा श्री सलीम मोहम्मद के नाम है।** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें।

आदेश आज दिनांक 16 .03.2026 को सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)